

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुंनं 62/17 तारीख 2 जू 4-9-17

उतवान - मिसार बनाम अमालु दीन केशी
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्राथी की ओर से मेहेन्द्र कुमार शर्मा व श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा अशु के अन्तर्गत पेश किया विपणन पत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अशु को जारिये नोटिस से तलब कर दिवांक 29/9 को पेश हो।

4651-63
4-9-17

जगदीश आर्य
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम

28-9-17

प्राथी वकील उप० / अशुर्ची नं. 1 की ओर से श्री जाकिर खान Adv. ने वकालतनाम पेश किया अशुर्ची नं. 2 ता. 10 के नोटिस पाया जान से तारीख हो चुके हैं तारीख मानी जाऊ, अशुर्ची नं. 2 का नोटिस नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अशुर्ची नं. 12 का नोटिस अशु तारीख प्राप्त हुआ है, अशुर्ची नं. 11 का नोटिस तारीख नहीं है वही वकील अशुर्ची नं. 11, 12 का नोटिस तलवाना पेश करें। वही जखब व तलवी दि. 31-10-17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम


31-10-17 - अयकाश

1-11-17 अकुलाय उप० / अशुर्ची नं. 12 की ओर से श्री जाकिर खान उप० / अशुर्ची नं. 11 का का समान नोटिस अशु तारीख प्राप्त हुआ है उन नोटिस तलवाना तलवी पत्र रजि. 100 पेश हो। वही तलवी व जखब दि. 5-12-17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
17.7.18	प्राची वकील उप०/ अप्राची नं. 1, 12 के वकील उपस्थित नहीं P.O. सा० अवकाश पर पदोरे थे, आईन्दा दिनांक 1-8-18 को पेश हो जायेंगे।
1-8-18	प्राची वकील उप०/ अप्राची नं. 1, 12 के वकील उपस्थित नहीं कई बार आवाज दिलाई गई कि भी उपस्थित नहीं हुए अतः इसके विकल्प एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। इस प्रकरण से संबंधित मूल दावा ब्यक्त तकासा प्राथमिक डिबी हो चुका है प्राची वकील के कथन पर यह प्राची पत्र अस्पष्ट निवेदाना खारिज किया जाता है पत्रावली कैसल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दखिलदस्त दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)